राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 124वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 124वीं बैठक दिनांक 20/06/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देबाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 123वीं बैठक दिनांक 03/06/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 123वीं बैठक दिनांक 03/06/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 405वीं बैठक 28/04/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1630)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 62246/ 2021, दिनांक 31/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 62246/ 2021, दिनांक 03/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 47 (पार्ट), 60/1 (पार्ट), 63 (पार्ट), 64, 65 (पार्ट), 66, 69 (पार्ट), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय साव, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोडपेण्ड्री का दिनांक 13/02/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1884/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.06/2020(3) नवा रायपुर, दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/255/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 01/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 41.98 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4231/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4201/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 22/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1329/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 11/04/2022 द्वारा जारी एल.ओ.आई. में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति के लिए एल.ओ.आई. अवधि समाप्ति (दिनांक 21/03/2022) पश्चात् 1 वर्ष (दिनांक 20/03/2023 तक) हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 60/1(पार्ट) मेसर्स बोलबम मिनरल्स पार्टनर श्री संजय साव तथा शेष खसरा क्रमांक आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2021/1398 दुर्ग, दिनांक 18/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोड़पेण्ड्री 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोड़पेण्ड्री 1 कि.मी. एवं अस्पताल सेलुद 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 29,46,000 टन, माईनेबल रिजर्व 14,88,604 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,39,744 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,137 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 42,317 घनमीटर है, जिसमें से 6,149 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा 5,424 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को क्रशर स्थापना एवं रैम्प निर्माण में उपयोग किया जाएगा एवं शेष 30,744 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भूमि खसरा क्रमांक 160/1 एवं 160/2 (1.37 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 5,290 वर्गमीटर होगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,42,500	षष्टम	1,12,200
द्वितीय	1,96,875	सप्तम	1,12,200
तृतीय	1,96,875	अष्टम	1,12,200
चतुर्थ	1,96,875	नवम	1,12,200
पंचम	1,94,385	दशम	1,12,050

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,53,100 रूपये, खाद के लिए राशि 11,250 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,34,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,28,350 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,60,160 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिसम्बर 2019 से फरवरी 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**:–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	26.28	43.58	60
PM_{10}	47.2	66.5	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

    iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**:– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

    iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48	58	75
Night L_{eq}	33.24	53.3	70

    जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

    v. **पी.सी.यू. की गणना**:– भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 49 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 है।

प्रस्तावित परियोजना उपरांत 30 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 79 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.071 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.01 to 0.2) के भीतर है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 30/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है।

    ii. ब्लास्टिंग से आस–पास के ग्रामों एवं पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है।

    iii. खदान के खुलने से जल का स्तर कम हो जाता है।

    iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदुरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविल लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

    i. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ट्रकों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा। क्रशर के चारों तरफ उंचाई पर ग्रीन मैट से बाउण्ड्री बनाई गई है, जिससे क्रशर का धूल दूर तक नहीं जायेगा।

    ii. ब्लास्टिंग कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के उपरांत किया जाएगा। ब्लास्टिंग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में कन्ट्रोल ब्लास्टिंग की जाएगी।

    iii. खदान अधिक गहरा नहीं होगा। यह भू–जल स्तर से काफी उपर होगा इससे भू–जल पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

    iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 22 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 4 कि. मी. कुल पहुँच मार्ग की संख्या 3 (पहुँच मार्ग–1 की लम्बाई 1 कि.मी., पहुँच मार्ग–2 की लम्बाई 1 कि.मी., पहुँच मार्ग–3 की लम्बाई 2 कि.मी.)		96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (5,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	2,75,000	25,000	25,000	25,000	25,000
	फेंसिंग हेतु राशि	13,43,910	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	5,09,000	5,09,000	5,09,000	5,09,000	5,09,000
इन्व्हायरोमेंट मॉनिटरिंग हेतु (Quarterly)		1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000	1,20,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के संधारण हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
गांव के सड़कों (2 कि.मी. तक) में 200 नग वृक्षारोपण हेतु		1,00,000	30,000	30,000	–	–
कुल राशि		**35,07,910**	**18,44,000**	**18,44,000**	**18,14,000**	**18,14,000**

परियोजना प्रस्तावक की सहभागिताः– कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगीः–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (334 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	12,024	1,224	1,224	1,224	1,224
	फेंसिंग हेतु राशि	5,19,000	–	–	–	–

	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,70,520	1,69,020	1,69,020	1,69,020	1,69,020
कुल राशि		**7,01,544**	**1,70,244**	**1,70,244**	**1,70,244**	**1,70,244**

20. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
112	2%	2.24	Following activities at nearby, **Village-Gondpendri**	
			Pavitra Van	10.78
			Total	**10.78**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,350 नग पौधों के लिए राशि 27,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,03,700 रूपये, खाद के लिए राशि 3,380 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,46,360 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,88,440 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,90,120 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 100 एवं 145/1(पार्ट), क्षेत्रफल 3 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/255/खनि. लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 01/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 21 खदानें, क्षेत्रफल 41.98 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) का क्षेत्रफल 4.91 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोड़पेण्ड्री) को मिलाकर क्षेत्रफल 46.89 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 47 (पार्ट), 60/1 (पार्ट), 63 (पार्ट), 64, 65 (पार्ट), 66, 69 (पार्ट), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर, क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स साव मिनरल्स लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–गोड़पेण्ड्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 47 (पार्ट), 60/1 (पार्ट), 63 (पार्ट), 64, 65 (पार्ट), 66, 69 (पार्ट), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 157 एवं 158 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.91 हेक्टेयर, क्षमता–1,96,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट में ग्राउण्ड वाटर टेबल 35 से 40 मीटर का उल्लेख है। प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। प्राधिकरण का मत है कि किसी भी स्थिति में ग्राउण्ड वाटर लेवल तक उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (undertaking) जमा किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को भी सूचित किया जाए।

2. मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर– श्रीमती सतरूपा सिन्हा), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1544)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /60417/2021, दिनांक 02/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 60417/ 2021, दिनांक 05/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 867, 874, 875, 876, 877, 878(पार्ट), 879(पार्ट), 881, 882, 883, 884(पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2, कुल क्षेत्रफल–4.55 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–49,950 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सतरूपा सिन्हा, प्रोपराईटर एवं मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री जगमोहन चन्द्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत ढौर का क्रमशः दिनांक 14/12/2018 एवं दिनांक 30/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5492/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(1) नवा रायपुर, दिनांक 23/12/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 901/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 07/09/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.673 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/3620/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 22/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. महामाया मिनरल्स के नाम पर है। इस हेतु पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/2769/खनिज/उ.प./2020 दुर्ग, दिनांक 15/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन 5465/खनि 02/उ. प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 26/10/2021 द्वारा जारी एल.ओ.आई. में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति के लिए एल.ओ.आई. अवधि 1 वर्ष (दिनांक 13/09/2022 तक) हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/3302 दुर्ग, दिनांक 25/08/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 25 कि.मी की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ढौर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–ढौर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सेलूद 1.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। तालाब 1.6 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय

संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 17,06,250 टन, माईनेबल रिजर्व 7,59,190 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,83,271 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,746 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 52,751 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15.2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 7,452 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	49,950	षष्टम	49,950
द्वितीय	49,950	सप्तम	49,950
तृतीय	49,950	अष्ठम	49,950
चर्तुथ	49,950	नवम	49,950
पंचम	49,950	दशम	49,950

12. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है, कुल मात्रा 52,751 घनमीटर है, जिसमें से 6,567 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा एवं 37,064 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को क्रशर स्थापना एवं रैम्प निर्माण में उपयोग किया जाएगा तथा शेष 9,120 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं के निजी भूमि खसरा क्रमांक 857 (0.5 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 34,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,72,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,250 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,45,700 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,55,950 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 6,63,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता

मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of Criteria Pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	18.14	43.10	60
PM_{10}	36.15	72.41	100
SO_2	9.01	17.78	80
NO_2	9.13	17.52	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Environmental and Social Baseline Settings में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	39.2	60.4	75
Night L_{eq}	30.1	47.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

17. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 140 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.12 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 9 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 149 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.13 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0 to 0.2) के भीतर है।

18. लोक सुनवाई दिनांक 01/11/2021 दोपहर 11:30 बजे स्थान – शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला, ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 30/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

    i. तालाब के किनारें में खदान खुलेगा और ट्रक भी चलेगा, सड़क पर जल छिड़काव भी नहीं करते है।

    ii. पर्यावरण संरक्षण हेतु उपाय किया जाना चाहिए एवं खदान से डस्ट उत्सर्जन अधिक होता है। क्रशर के कारण प्रदूषण होता है।

    iii. खदान खुलने के पूर्व गांव में 500 नग वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।

iv. लीज क्षेत्र के समीप 20 एकड़ का तालाब है, जिससे तालाब का पानी प्रदूषित होगा।

v. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही काम के दौरान मजदूरों के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य शिविल लगाया जायेगा।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान तालाब से लगभग 200 मीटर दूर है। धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु सड़क में प्रतिदिन दो से तीन बार जल छिड़काव किया जाएगा। खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग में लाये जाने वाले ट्रकों को तारपोलिन से ढंक कर ले जाया जायेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा एवं खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। साथ ही क्रशर के चारों तरफ उंचाई पर ग्रीन मैट से बाउण्ड्री बनाई गई है, जिससे क्रशर का धूल दूर तक नहीं जायेगा।

iii. लीज क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग में सुरक्षा घेरा सहित वृक्षारोपण का कार्य प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

iv. लीज क्षेत्र से तालाब काफी दूर है, तालाब के तरफ कोई भी गहरी खनन कार्य नहीं किया जाएगा एवं परिवहन के लिए भी तालाब के कोई भी रास्ते का उपयोग नहीं किया जाएगा।

v. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

20. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 6 खदानें आती है। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	36,000	2,600	2,600	2,600	2,600
	फेंसिंग हेतु राशि	10,35,400	–	–	–	–
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,63,000	1,60,750	1,60,750	1,60,750	1,60,750
कुल राशि		**12,34,400**	**1,63,350**	**1,63,350**	**1,63,350**	**1,63,350**

कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
तालाब की परिधि में (474 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	17,064	5,820	5,820	5,820	5,820
	फेंसिंग हेतु राशि	1,62,200	400	400	400	400
	खाद, सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	1,57,500	1,56,490	1,56,490	1,56,490	1,56,490
कुल राशि		**3,36,764**	**1,62,710**	**1,62,710**	**1,62,710**	**1,62,710**

21. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि क्लस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
69	2%	1.38	Following activities at nearby, **Village-Dhaur**	
			Pavitra Van	10.10
			Total	**10.10**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 900 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 65,300 रूपये, खाद के लिए राशि 2,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,44,900 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,30,450 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,80,520 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 145, क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

23. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 901/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 07/09/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 10.673 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–ढौर) का क्षेत्रफल 4.55 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–ढौर) को मिलाकर क्षेत्रफल 15.223 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पडने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स महामाया मिनरल्स (पार्टनर– श्रीमती सतरूपा सिंहा), ग्राम–ढौर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 867, 874, 875, 876, 877, 878(पार्ट), 879(पार्ट), 881, 882, 883, 884(पार्ट), 887/1, 888/1 एवं 888/2 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.55 हेक्टेयर, क्षमता–49,950 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुर्नवास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव निरंतर किये जाने एवं वृक्षारोपण का कार्य इसी मानसून में पूर्ण करने बाबत् शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लोकसुनवाई में उठाये गये समस्त मुद्दों के समाधान हेतु कार्ययोजना एवं विशेष कर तालाब के संरक्षण हेतु विस्तृत कार्य योजना (Pond conservation action plan) प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान की सीमा से समीपस्थ तालाब की दूरी एवं वाहनों के आवागमन तथा इसके संरक्षण के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने हेतु श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को पत्र लेख किया जाए एवं एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को भी सूचित किया जाए।

3. मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत), ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1874)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 245697/2021, दिनांक 17/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/01/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19, कुल क्षेत्रफल–2.07 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19, कुल क्षेत्रफल – 2.07 हेक्टेयर, क्षमता–3,275 घनमीटर (ईंट निर्माण 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 27/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1555/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 27/02/2017 से 31/12/2017 तक	निरंक
दिनांक 01/01/2018 से 31/12/2018 तक	334
दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 तक	384
दिनांक 01/01/2020 से 01/09/2020 तक	900
दिनांक 01/10/2020 से 31/03/2021 तक	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अनुजनगर का दिनांक 17/12/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 74/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 10/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1556/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक

23/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1556/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई परियोजना, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, दार्शनिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/01/2005 से 11/01/2015 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/01/2015 से 11/01/2035 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 700/2 एवं 703 सुहानो, खसरा क्रमांक 726/2 श्री गंगाराम, खसरा क्रमांक 700/1 श्री रामलाल, खसरा क्रमांक 701 एवं 702 श्री बरतु, खसरा क्रमांक 723/7 एवं 723/11 श्री नंदु, खसरा क्रमांक 700/3 श्री गोतीराम एवं खसरा क्रमांक 723/19 श्री नवा मक्खन के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3240/2004 अम्बिकापुर, दिनांक 28/12/2004 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–अनुजनगर 1.3 कि.मी., स्कूल ग्राम–अनुजनगर 1.6 कि.मी. एवं अस्पताल अम्बिकापुर 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.3 कि.मी. दूर है। घुनघुटा नदी 12.1 कि.मी., मौसमी नाला 2.3 कि.मी. एवं तालाब 1.1 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 28,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 26,229 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 24,917 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 27,097 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 23,299 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौडी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 962 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 4,102 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा

स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन से 15 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2021–22	2,469	13,88,813
2022–23	2,481	13,95,788
2023–24	2,497	14,04,563
2024–25	2,508	14,10,975
2025–26	2,620	14,73,750

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.78 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 481 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 181 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 9,050 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 24,050 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,10,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,63,100 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 9,36,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23.60	2%	0.47	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Anujnagar**	
			Potable Drinking Water Facility	0.32
			Running Water Facility for Toilet	0.10
			Environmental Library	0.13
			Total	**0.55**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1556/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 23/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–अनुजनगर) का रकबा 2.07 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत), ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.07 हेक्टेयर, क्षमता – 3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री लक्ष्मण सिंह शेखावत), ग्राम–अनुजनगर, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 700/2, 703, 726/2, 700/1, 701, 702, 723/7, 723/11, 700/3 एवं 723/19 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.07 हेक्टेयर, क्षमता – 3,275 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 14,73,750 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. **मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक त्रिपाठी), ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1906)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 250643/2022, दिनांक 08/01/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1727/1, कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,225 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक त्रिपाठी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुनसुनिया का दिनांक 05/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख. प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 363/2/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2020 बिलासपुर, दिनांक 18/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 2058/खलि/तीन–1/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08/06/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 2055/खलि/तीन–1/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री दीपक त्रिपाठी के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1395/गौ.खनिज/नीलामी/न.क्र./2019 बलौदाबाजार, दिनांक

28/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 22/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 24/11/2021 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत् आशय पत्र की अवधि में पारित आदेश दिनांक से 06 माह का अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए, उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति पश्चात् निम्नानुसार उत्खननपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सुनसुनिया 1 कि.मी. स्कूल ग्राम–सुनसुनिया 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल कसडोल 7.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27.7 कि.मी. राज्यमार्ग 5.5 कि.मी. दूर है। तालाब 1.25 कि.मी. एवं नहर 1.95 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 1500 मीटर, न्यूनतम 1330 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 340 मीटर, न्यूनतम 330 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 148.54 मीटर, न्यूनतम 144 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 500 मीटर, न्यूनतम 240 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4.28 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.25 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 99,225 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.28 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 14/02/2020 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
37.59	2%	0.76	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Sunsuniya**	
			Installation of Motor Pump, Water Tank along with Filter AMC	0.60
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Environmental Library	0.15
			Total	**0.90**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.25 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–सुनसुनिया) का रकबा 4.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,880 नग पौधे – 940 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 940 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 1,120 नग पौधे लगाए जायेंगे। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 9,00,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 4,50,000 रूपये घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम मे 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2022, 2023, 2024 एवं प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक त्रिपाठी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1727/1, ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मेसर्स सुनसुनिया सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक त्रिपाठी), पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1727/1, ग्राम–सुनसुनिया, तहसील–बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, कुल लीज क्षेत्रफल 4.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन दिये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. समोच्च योजना (Contour Plan) रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत की जाए।

2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु अधिनियम के तहत् सम्मति प्राप्त कर संचालन प्रारंभ किया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स श्री मोहन लाल अग्रवाल (मोहभट्ठा डोलोमाईट स्टोन माईन), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1452)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57905/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/02/2022 को टी.ओ.आर. के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 759, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/2, 930 एवं 931, कुल क्षेत्रफल–4.97 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–94,335 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/03/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को 'बी2' केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

   - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15/01/2016 एवं एस.ओ. 2269(ई) दिनांक 01/07/2016 के अनुसार "किसी समूह का निर्माण, तब किया जाएगा, जब किसी पट्टे के सीमाओं की बीच की दूरी, किसी अन्य पट्टे की सीमा में सदृश्य (homogeneous) खनिज क्षेत्र में 500 मीटर से कम हो।" है।

   - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 515/खनि 02/न.क्र. 02/2020–21 मुंगेली, दिनांक 29/07/2020 के माध्यम से **डोलोमाईट खनिज** उत्खनिपट्टा हेतु आशय पत्र जारी किया गया है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 801/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार

आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 4.243 हेक्टेयर होना बताया गया है, जो कि निम्न श्रेणी **चूना पत्थर** की खदानें है। अतः आवेदित क्षेत्र में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना एस.ओ. 141(ई) दिनांक 15/01/2016 एवं एस.ओ. 2269(ई) दिनांक 01/07/2016 के अनुसार होमोजिनियस खनिजों का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। इस प्रकार आवेदित प्रकरण को 'बी1' केटेगरी के स्थान पर 'बी2' केटेगरी का मानकर निराकरण किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

- डोलोमाईट एवं चूना पत्थर भिन्न–भिन्न खनिज है। अतः दोनों खनिजों को होमोजिनियस खनिज नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के आधार पर तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

- आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है। अतः माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेशानुसार खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण 'बी2' श्रेणी का मान्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. डोलोमाईट एवं चूना पत्थर भिन्न–भिन्न खनिज है, डोलोमाईट एवं चूना पत्थर की रसायनिक संरचना भिन्न–भिन्न है। अतः दोनों खनिजों को होमोजिनियस खनिज नहीं माना जा सकता है।
2. आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है। अतः खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम का क्लस्टर निर्मित होने के कारण 'बी2' श्रेणी का मान्य किया जाएगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी टीओआर को डिलिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित प्रकरण को 'बी2' केटेगरी का मानकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात् प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुतीकरण में बुलाये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी टीओआर को डिलिस्ट/निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी / सीएमआईएन / 260427/2022, दिनांक 08/03/2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1422, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **"ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।" के स्थान पर "**ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस–पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।" किये जाने के लिये जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्तुतीकरण के दौरान कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाना बताया गया था। इस आधार पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "**बिंदु क्रमांक 08 – ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।" का उल्लेख किया गया है किन्तु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त के **III. Water quality monitoring** के बिन्दु क्रमांक (vi) में "The rejects should be utilized in

Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization." का उल्लेख है।

3. कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराये जाने अथवा आस–पास पावर प्लांटों एवं अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में परीक्षण किया जाना आवयश्क है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **"बिंदु क्रमांक 08 – ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।" के स्थान पर "रिजेक्ट्स को एम.ओ.यु. हुये आस–पास के पावर प्लांटों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने" में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये ऑनलाईन आवेदन एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति ज्ञापन क्रमांक 1422, दिनांक 28/09/2021 के शर्त III. Water quality monitoring के बिन्दु क्रमांक vi. The rejects should The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization. का उल्लेख है।
4. परियोजना के कार्यकलापों एवं प्रस्तावों में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्नानुसार संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

"**ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा।"

के स्थान पर

"**ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.192 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल वाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को कर्व्हड ट्रकों के माध्यम से ईंट निर्माण इकाई अथवा आस–पास पावर प्लांटों अथवा अन्य उद्योगों को ईंधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।"

पढ़ा जाये।

एवं

III. Water quality monitoring के बिन्दु क्रमांक vi. The rejects should The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization.

के स्थान पर

III. Water quality monitoring के बिन्दु क्रमांक vi. The rejects should The rejects should be utilized in Brick manufacturing plant or FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization by covered trucks.

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"Sampling & analysis of reject coal material by Directorate General of Mines (DGM) before disposal / Sale of washery reject coal."

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 28/09/2021 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया जाए।

7. मेसर्स नर्मदा मिनरल्स (किरना डोलोमाईट स्टोन माईन, पार्टनर– श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम–किरना, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1451)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 57900/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /261406/2022, दिनांक 17/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–किरना, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 486, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, कुल क्षेत्रफल–4.63 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,00,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन क्रमांक 1930, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक / 809 / खलि–03 / 2020 मुंगेली, दिनांक 29 / 10 / 2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान उक्त 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान क्लस्टर में अवस्थित होना बताया गया था।

- वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000 / खलि–03 / 2021–22 मुंगेली, दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है। अतः कुल 16.875 हेक्टेयर का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04 / 04 / 2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. नवीन प्रमाण पत्र अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000 / खलि–03 / 2021–22 मुंगेली, दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानों में से 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान को एल.ओ.आई. दिनांक 04 / 02 / 2021 को जारी किया गया है, जबकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930, दिनांक 04 / 02 / 2021 द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया गया था। अतः टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें ही संचालित / स्वीकृत थी।

2. जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक / 809 / खलि–03 / 2020 मुंगेली, दिनांक 29 / 10 / 2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 12.056 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है। अतः नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000 / खलि–03 / 2021–22 मुंगेली, दिनांक 22 / 02 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" उल्लेखित है।

3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" होने के कारण कुल क्लस्टर के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। अतः कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1930, दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (लोक सुनवाई सहित) में

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/809/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 12.056 हेक्टेयर है।"

के स्थान पर

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 2000/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.245 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–किरना) का रकबा 4.63 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–किरना) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।"

किए जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही पूर्व शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व शर्तें यथावत् रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संशोधन जारी किया जाए।

8. **मेसर्स शितला मिनरल्स (पार्टनर– श्री मनीष कुमार अग्रवाल), ग्राम–लमती, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1453)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 57902/2020, दिनांक 31/10/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /262136/2022, दिनांक 17/03/2022 द्वारा टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लमती, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 शामिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, कुल क्षेत्रफल–4.819 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,01,316.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/03/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/803/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसार टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान उक्त 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान क्लस्टर में अवस्थित होना बताया गया था।

- वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खलि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है। अतः कुल 16.875 हेक्टेयर का क्लस्टर निर्मित हो रहा है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. नवीन प्रमाण पत्र अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खलि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानों में से 2 खदानें संचालित है एवं इसके अतिरिक्त 1 अन्य नवीन प्रस्तावित खदान

को एल.ओ.आई. दिनांक 04/02/2021 को जारी किया गया है, जबकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ के अनुमोदन उपरांत एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ के ज्ञापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. जारी किया गया था। अतः टी.ओ.आर. के प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें ही संचालित/स्वीकृत थी।

2. जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/803/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.245 हेक्टेयर है।" का उल्लेख है। अतः नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खलि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" उल्लेखित है।

3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर स्थिति पाई गई कि नवीन प्रमाण पत्र अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खलि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।" होने के कारण कुल क्लस्टर के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। अतः कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किया जाएं।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1932, दिनांक 04/02/2021 द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (लोक सुनवाई सहित) में

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/803/खलि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित कुल 2 खदानें, क्षेत्रफल 7.426 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 12.245 हेक्टेयर है।"

के स्थान पर

"कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1999/खनि–03/2021–22 मुंगेली, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 12.056 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–लमती) का रकबा 4.819 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–लमती) को मिलाकर कुल रकबा 16.875 हेक्टेयर है।"

किए जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किये जाने की अनुशंसा की गई। साथ ही पूर्व शर्ते यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संशोधन जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व शर्ते यथावत् रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) में संशोधन जारी किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 09/03/2022 द्वारा गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

गौण खनिज के खदानों में पर्यावरण स्वीकृति बाबत्।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 09/03/2022 द्वारा गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 20/03/2015 एवं अधिसूचना दिनांक 27/02/2019 के अनुसार गौण खनिज हेतु चाही गई मार्गदर्शन के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अटल नगर नवा रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 9488, दिनांक 23/03/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/15/2012-IA.II(M) दिनांक 20/03/2015 अनुसार "Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years." का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना का.आ. 1038 (अ) दिनांक 27/02/2019 द्वारा "खनिजों के खनन हेतु "पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता" से तात्पर्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम तीस वर्षों की शर्त के अध्यधीन, यथा अनुमानित परियोजना काल की अवधि से है।" का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14 सितम्बर, 2006 एवं उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति, मध्यप्रदेश के ज्ञापन क्रमांक 2596 / एस.ई.आई.ए.ए. / 19, दिनांक 15 / 10 / 2019 द्वारा मेसर्स इस्टर्न मिनरल्स, ग्राम–नंदनवारा, तहसील–जतारा, जिला–टिकमगढ़ (म.प्र.) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता 30 वर्ष के लिए जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के आधार पर श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भी गौण खनिज हेतु प्राप्त की गई समस्त पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि वैधता लीज अवधि तक मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04 / 04 / 2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा खदानों को 30 वर्ष से कम की वैधता अवधि के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें से कुछ खदानों की वैधता अवधि समाप्त हो गई है, परंतु लीज की अवधि वैध है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/15/2012-IA.II(M) दिनांक 20 / 03 / 2015 अनुसार "Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years." का उल्लेख है। किन्तु जिन खदानों की वैधता 30 वर्षों के पूर्व समाप्त हो गई है एवं उनकी लीज की अवधि वैध है। इस संबंध में मार्गदर्शन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. वर्तमान में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति भंग हो चुकी है, जिसके कारण समस्त प्रकरणों के आवेदनों को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा निराकरण किया जा रहा है। अतः ऐसे प्रकरणों में निराकरण किये जाने हेतु स्पष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता प्रतिपादित हो रही है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं विधि विभाग (Law Department) से उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण / मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन के पत्र दिनांक 22 / 04 / 2022 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12 / 04 / 2022 को जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर, गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति लीज अवधि / 30 वर्षों तक मान्य करने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/04/2022 को संपन्न 121वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/अधिसूचना का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2022 को अधिसूचना जारी किया गया, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

"Provided further that the regulatory authority may also consult the concerned Expert Appraisal Committee before grant of such extension.

(iv) The prior Environmental Clearance granted for mining projects shall be valid for the project life as laid down in the mining plan approved and renewed by competent authority, from time to time, subject to a maximum of thirty years, whichever is earlier".

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त अधिसूचना के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022:

समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पैरा 9 में, (क) उपपैरा (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :–

   (i) "पर्यावरणीय मंजूरी की वैधता" से वह अवधि अभिप्रेत है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी विनियामक प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है, या आवेदक द्वारा पैरा 8 के उपपैरा (iii) के अधीन स्वीकृत किया गया माना जा सकता है, की सुरूवात परियोजना या गतिविधियों द्वारा उत्पादन प्रचालन ; या अनुसूची के मद 8 से संबंधित निर्माण परियोजनाओं के मामले में सभी निर्माण प्रचालनों को पूरा करना है, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन संदर्भित है:

   परंतु खनन परियोजनाओं या गतिविधियों के मामले में वैधता खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दिये जायेंगें।

2. "खनन परियोजनाओं के लिए दी गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी, समय–समय पर, अधिकतम 30 वर्ष, जो भी पहले हो, के अधीन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और नवीनीकृत खनन योजना में निर्धारित परियोजना जीवन के लिए मान्य होगी।

   सम्मिलित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी की वैधता की अवधि को अगले 30 वर्षों के लिए, 30 वर्षों से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि विद्यमान पर्यावरण मंजूरी में अधिकथित विद्यमान पर्यावरण सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता की जाँच, 30 वर्ष की पर्यावरण मंजूरी की अधिकतम वैधता अवधि के भीतर परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा हर 5 वर्ष बाद और तत्पश्चात् विस्तारित पर्यावरण मंजूरी, जैसा आवश्यक समझा जाए, परियोजना प्रस्तावक से अधिकथित प्रोफार्मा में ऐसे आवेदन की वैधता अवधि के

भीतर प्राप्त होने पर पर्यावरण प्रबंधन योजना में ऐसे अतिरिक्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए हर 5 वर्ष में, खनन पट्टे की वैधता या खनन जीवन की समाप्ति या 50 वर्ष, जो भी पहले हो, तक की जाएगी।''

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित वैधता की गणना पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से प्रारंभ कर पत्र में निर्धारित समाप्ति अवधि के पूर्व माईनिंग ऑपरेशन्स प्रारंभ कर लेने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज डीड क्रियान्वयन दिनांक से रहेगी।
2. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, उन परियोजनाओं को पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 को अथवा इस दिनांक के उपरांत वैध है, उन खनन परियोजनाओं में:–

   (अ) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में वही है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के समय थी, उनमें परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि हेतु फार्म–6 में आवेदन करना होगा।

   (ब) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में जिसकी स्थिति परिवर्तित हो रही (जैसे बी–2 से बी–1) है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के आधार पर किया जाना है अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि में विस्तार हेतु परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन करना होगा। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता के संबंध में उपरोक्त अभिमत प्रस्तुत है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/अभिमत का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार समिति की समस्त अनुशंसा को मान्य करने का निर्णय किया गया तथा उपरोक्त बिंदु क्रमांक 3 के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री राकेश दुबे, अध्यक्ष रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 **छत्तीसगढ़ खनिज पट्टेदार महासंघ, रायपुर द्वारा दिनांक 19/04/2022 के माध्यम से गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता संबंधी प्राप्त पत्र में निर्णय लिया जाना।**

श्री पराग बढ़े, महासचिव छत्तीसगढ़ खनिज पट्टेदार महासंघ, रायपुर के पत्र दिनांक 22/03/2022 द्वारा गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति लीज अवधि/30 वर्षों तक मान्य करने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

श्री पराग बढ़े, महासचिव छत्तीसगढ़ खनिज पट्टेदार महासंघ, रायपुर द्वारा निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के पैरा 7 के अनुसार "The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities" का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम क्रमांक J-11011/15/2012-IA.II(M) दिनांक 20/03/2015 अनुसार "It is clarified that the Project Proponent which has a valid and substituting EC for their mining project either under EIA Notification 1994 or EIA Notification 2006, will not be required to obtain fresh EC at the time of renewal of the lease. This is subject to the maximum period of validity of the EC being for mining lease for 30 years." का उल्लेख है, की प्रति प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के आधार पर श्री पराग बढ़े, महासचिव छत्तीसगढ़ खनिज पट्टेदार महासंघ, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिज हेतु प्राप्त की गई समस्त पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि वैधता लीज अवधि तक मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/अधिसूचना का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त अधिसूचना एवं ऑफिस मेमोरेण्डम के परिपेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–5 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**

1. गौण खनिज के खदानों में पर्यावरण स्वीकृति बाबत्।

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 द्वारा श्री अमर परवानी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रायपुर के पत्र दिनांक 06/05/2022 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गई है।

श्री अमर परवानी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रायपुर के पत्र दिनांक 06/05/2022 द्वारा गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12/04/2022 को जारी अधिसूचना की प्रति संलग्न कर, गौण खनिज की खदानों में पर्यावरणीय स्वीकृति लीज अवधि/30 वर्षों तक मान्य करने बाबत् पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/अधिसूचना का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा समिति की 405वीं बैठक दिनांक 28/04/2022 को किये गये अनुशंसा के आधार पर **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:–**

1. पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र में उल्लेखित वैधता की गणना पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी दिनांक से प्रारंभ कर पत्र में निर्धारित समाप्ति अवधि के पूर्व माईनिंग ऑपरेशन्स प्रारंभ कर लेने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता की गणना लीज डीड क्रियान्वयन दिनांक से रहेगी।
2. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के पूर्व समाप्त हो चुकी है, उन परियोजनाओं को पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार जिन खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 को अथवा इस दिनांक के उपरांत वैध है, उन खनन परियोजनाओं में:–

   (अ) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में वही है, जो पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने के समय थी, उनमें परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता में वृद्धि हेतु फार्म–6 में आवेदन करना होगा।

   (ब) ऐसे प्रकरण जिनमें खदानों की केटेगरी अद्यतन स्थिति में जिसकी स्थिति परिवर्तित हो रही (जैसे बी–2 से बी–1) है। उनमें पर्यावरणीय स्वीकृति में अवधि विस्तार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना का.आ. 1807(अ) दिनांक 12/04/2022 के आधार पर किया जाना है अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि में विस्तार हेतु परियोजना प्रस्तावक को नवीन आवेदन करना होगा। इस संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिया जाना उचित होगा।

श्री अमर परवानी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन लिये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. **मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1323)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /सीएमआईएन/ 66779/2020, दिनांक 19/08/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्राप्त शिकायत की प्रति दिनांक 08/10/2021 को प्रेषित किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी–पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1, 2/1, 2/2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29/1, 29/2, 30, 31, 473/1, 473/2 एवं 473/3, कुल क्षेत्रफल – 11.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित कोल वॉशरी क्षमता–0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

सरपंच, ग्राम पंचायत पिपरतराई, खरगहनी, खुरदुर, खरगहना, छेरकाबांधा, गोकुलपुर, भरारी, पथर्रा एवं उपसरपंच, ग्राम पंचायत खरगहनी द्वारा सामूहिक रूप से दिनांक 05/10/2021 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति पर आपत्ति बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आस–पास के सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों को आपत्ति है, क्योंकि कोल वॉशरी स्थापित किये जाने से पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे आस–पास के गांवों में निवासरत् लोगो के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।
- वॉशरी से निकलने वाले डस्ट के कारण किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी, पानी प्रदूषित होगा। सड़कों पर बड़ी वाहनों के आवागमन से भारी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहेगी।
- वॉशरी में कोयले को धोने हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा जिससे उन क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला जाएगा, जिसके कारण पेयजल एवं खेतों में सिंचाई के साधनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पथर्रा एवं खरगहनी, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर से 30 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं हरिभूमि समाचार पत्र गांव में नहीं पहुँच पाता है, प्रकाशन दिनांक से 1 माह तक परियोजना के संबंध में सुझाव टीका टिप्पणीयां एवं आपत्तिया प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। जो कि हम ग्रामवासी पथर्रा एवं खरगहनी को छल करने के लिए अथवा खानापूर्ति करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशन के साथ ही पथर्रा एवं खरगहनी ग्राम पंचायत को पत्र के माध्यम से सूचनार्थ किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जानकारी के अभाव में प्रभावित ग्राम वासियों के द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं कराई जा सकी।
- कुछ अज्ञात बाहरी व्यक्तियों द्वारा सहमति दर्ज कराई गई। जो कोल वॉशरी के मेनेजर द्वारा लाए गये बाहरी व्यक्ति थे। जिनके सहमति (समर्थन) को निरस्त (शून्य) घोषित किया जाए। क्योंकि वे सभी प्रभावित स्थल से लगभग 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के बाहर रहने वाले व्यक्ति है। जो कि श्री प्रेमलाल साहू स्वयं को ग्राम भरारी का निवासी बताते हुये वॉशरी खुलने में सहमति दर्ज

कराया है, जबकि भरारी के सरपंच का कहना है कि मेरे जानकारी अनुसार यह व्यक्ति ग्राम पंचायत भरारी का नहीं है। अतः यह पूर्णतः असत्य है। इस लिए इस व्यक्ति द्वारा वॉशरी हेतु दिये गये सहमति को निरस्त (शून्य) घोषित किया जाए।

- जितने भी बाहरी व्यक्ति द्वारा वॉशरी के संबंध में समर्थन दर्ज कराया गया है। उनके नाम तथा पता इस प्रकार है श्री योगेश ग्राम–गनियारी, श्री राजेश कौशिक ग्राम–गोकुलपुर, श्री प्रेमलाल साहू ग्राम–भुण्डा भरारी, श्री धर्मेन्द्र केवट ग्राम–बेलटुकरी, श्री रामू साहू ग्राम–गनियारी यह सभी व्यक्ति वॉशरी में काम करने वाले मजदूर है। जिसे वॉशरी के मेनेजर द्वारा लाया गया था। जिसकी जाँच की जाए तथा इसका आधार कार्ड, राशन कार्य, परिचय पत्र की छायाप्रति ग्राम पंचायत पथर्रा एवं समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच को प्रदान किया जाए। समस्त ग्राम पंचायतों एवं ग्राम वासियों द्वारा किये गये विरोध आपत्तियों को प्राथमिकता दिया जाए एवं वॉशरी स्थापित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अन्यथा इसके स्थापना से 5 किलोमीटर के भीतर आने वाले 8 ग्राम पंचायतों के लगभग 50,000 हजार जनसंख्या के जन जीवन एवं स्थानीय जीव–जन्तुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त शिकायत की जॉच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ के ज्ञापन दिनांक 04/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 08/03/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 09/03/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 04/04/2022 को संपन्न 119वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

स्थल निरीक्षण उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में उपलब्ध रिकार्ड का परीक्षण किया गया। शिकायत के बिन्दुओं के संबंध में पाई गई स्थिति की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. मेसर्स महावीर कोल वॉशरी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–खरगहनी, पथर्रा, तहसील–कोटा, जिला–बिलासपुर ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु यथोचित

उपाय करेंगे जैसे कि 4 मीटर बाउण्ड्रीवाल के साथ विंड वॉल, रेन गन लगाया जायेगा।

2. कोल वॉशरी द्वारा आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया जायेगा, जिससे धूल नहीं उड़ेगी।

3. कव्हर्ड ट्रकों से कोल का परिवहन किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत पथरा द्वारा दिनांक 22/09/2019 एवं ग्राम पंचायत खरगहनी द्वारा दिनांक 21/05/2020 को परियोजना हेतु अनापत्ति प्रदान की गई।

5. परिसर के चारो ओर पर्याप्त ग्रीन बेल्ट का विकास किया जायेगा।

उक्त शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई के उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को जानकारी प्रस्तुत की गई थी। जिसमें विभिन्न मुद्दों का निराकरण किया गया है। प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1. वॉशरी द्वारा उद्योग परिसर से शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी। वायु प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था की जायेगी जैसा की ऊपर वर्णित है।

2. आंतरिक मार्गो में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जायेगा।

3. अगर प्रदूषण से संबंधित कोई समस्या होती है, तो ग्राम वासियों के साथ बैठकर हल निकाला जायेगा।

4. सी.एस.आर. के माध्यम से आस–पास के गांवों में कार्य किया जायेगा।

5. जल प्रबंधन एवं जल स्त्रोत के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.जी.डब्ल्यू.बी. (CGWB) से अवज्ञा प्राप्त की गई है। परियोजना सेफ जोन में आती है एवं परियोजक द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत वॉटर रिसायकल किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। वॉटर टेबल को मेंनटेन करने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग किया जायेगा एवं पास के गांव में 02 तालाबों का निर्माण किया जायेगा।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई की विस्तृत जानकारी ग्रामवासियों को जन मुनादी (दिनांक 28/07/2021 से 03/08/2021 तक) कराकर दी गई है। संबंधित ग्राम पंचायतों को पत्र दिनांक 26/03/2021 एवं दिनांक 22/07/2021 के माध्यम से सूचित किया गया था।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार एवं विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो आपत्ति इस पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है, इन प्राप्त आपत्तियों का समायोजन परियोजना प्रस्तावक द्वारा जन सुनवाई में लिखित एवं मौखिक रूप से निराकरण प्रस्तुत किया। शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्य सही नहीं है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। अतः प्राप्त शिकायत निराकृत मानी जाये।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में उपसमिति द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया जा रहा है, उल्लेखित तथ्यों के परीक्षण उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा

नस्ती / दस्तावेज / निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. लोक सुनवाई की तिथि से 30 दिन पूर्व, लोक सुनवाई की सूचना के संबंध में तथ्यात्मक अभिलेख निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) एवं उत्पन्न दूषित जल के प्रबंधन हेतु किये जाने वाले उपाय के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
3. सी.एस.आर. के माध्यम से आस–पास के गांवों में कार्यों हेतु कार्ययोजना के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
4. सी.ई.आर. के तहत् की गई कार्यवाही की जानकारी के संबंध में लेख नहीं किया गया है।
5. वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण के संबंध में लेख किया जाना आवश्यक है।
6. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हेतु तैयार किये गये कार्ययोजना के संबंध में लेख किया जाना आवश्यक है।
7. आंतरिक मार्गो में जल छिडकाव हेतु व्यवस्था की जानकारी का लेख किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपसमिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में उपरोक्त तथ्यों का समावेश करते हुये जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07 / 06 / 2022 के परिपेक्ष्य में डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 15 / 06 / 2022 को प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20 / 06 / 2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती / दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उपरोक्त तथ्यों का समावेश करते हुये निम्नानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:–

1. लोक सुनवाई दिनांक 04 / 08 / 2021 की तिथि से 30 दिन पूर्व, लोक सुनवाई की सूचना दिनांक 27 / 06 / 2021 को दैनिक स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि (हिन्दी माध्यम) एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र द पायोनियर (अंग्रेजी माध्यम) में पर्यावरण स्वीकृति हेतु स्थल, दिनांक व समय के साथ प्रकाशित कराया गया था। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों में कोटवार के माध्यम से एक सप्ताह तक मुनादी भी करवायी गई।
2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) एवं उत्पन्न दूषित जल के प्रबंधन हेतु प्रस्तावित उद्योग में प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले दूषित जल का पुर्नचक्रीकरण थिकनर, बेल्ट प्रेस एवं सेटलिंग टैंक के माध्यम से किया जाकर इसका पुर्नउपयोग उद्योग की प्रक्रिया में किया जाना प्रस्तावित है जिससे जल का शून्य निस्सारण होगा तथा ठोस अपशिष्ठ के संबंध में प्रस्तावित उद्योग

में वाशरी रिजेक्ट को ढके हुए ट्रकों से ईंट निर्माण उद्योग व एफबीसी आधारित पॉवर प्लांट को दिया जाना प्रस्तावित है।

3. सी.एस.आर. के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा दिये गए प्रस्ताव तथा जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित किये गए कार्यों को किया जाना प्रस्तावित है।

4. सी.ई.आर. के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित उद्योग स्थल के आस पास के 18 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण का प्रस्ताव दिया गया है। सीईआर की राशि परियोजना की कुल लागत का 2 प्रतिशत 44 लाख रूपये होगी।

5. वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत के स्थान पर 42.72 प्रतिशत (12.27 एकड) क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण (तीन पंक्तियों में) किया जाना प्रस्तावित है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गारलेण्ड ड्रेनेज सिस्टम, तालाबनुमा स्ट्रक्चर एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित तालाब का आकार 60 गुणा 60 गुणा 8 मीटर के 2 एवं 50 गुणा 50 गुणा 8 मीटर के 1 (कुल 3) होंगे जिनकी कुल क्षमता 45,464 घनमीटर होगी। परियोजना के क्षेत्रफल तथा बिल्डिंग के आकार की गणना के अनुरूप कुल वर्षा का जल 44,708.41 घनमीटर अनुमानित है, जिसे प्रस्तावित तालाबों में संग्रहित किया जाएगा।

7. आंतरिक मार्गो में जल छिड़काव बाउंड्रीवाल से लगे रेन–गन एवं वाटर स्प्रिंकलिंक सिस्टम के द्वारा जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि शिकायत के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है उक्त से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए।

शिकायतकर्ता को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. सी.एम.डी.सी. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत्।

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के ज्ञापन दिनांक 31/05/2022 एवं 10/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए आवेदित प्रकरण को बैठक में सम्मिलित करने बाबत् पत्र एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है। पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.) राज्य शासन का एक उपक्रम है। सी.एम.डी.सी. द्वारा निम्न बॉक्साईड क्षेत्रों के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. के लिए निम्न आवेदन किया गया है:–

क्र.	बॉक्साईट खदान का नाम	तहसील/जिला	रकबा (हेक्टेयर)	प्रपोजल नम्बर
1.	जमीरापाट	बलरामपुर/ बलरामपुर–रामानुजगंज	114.009	76931
2.	सरभंजा	मैनपाट/सरगुजा	207.870	77027
3.	सलगी	मैनपाट/सरगुजा	42.646	75075
4.	डांडकेसरा	मैनपाट/सरगुजा	44.718	78162

सी.एम.डी.सी. को उक्त क्षेत्र आरक्षण के आधार पर मिला है तथा मार्च 2023 के पूर्व खनिपट्टा स्वीकृत कराने अनिवार्य है अन्यथा क्षेत्र व्यपगत की श्रेणी में आ जाएगा।

मेसर्स मां कुदरगढ़ी एल्युमिना रिफायनरी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम–चिरंगा, जिला–सरगुजा में एल्युमिना संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य शासन के साथ दिनांक 28/02/2020 को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त संयंत्र हेतु प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साईट की मांग की गई है। उपरोक्त के अनुक्रम में सी.एम.डी.सी. के माध्यम से उपरोक्त संयंत्र को सी.एम.डी.सी. द्वारा उत्पादित बॉक्साईट खनिज का 70 प्रतिशत खनिज बाक्साईट प्रदाय करने हेतु लांग टर्म लिंकेज पॉलिसी का मंत्री परिषद द्वारा दिनांक 20/07/2021 को अनुमोदन किया गया है। उक्त संयंत्र के सुचारू रूप से संचालन होने पर राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी साथ ही क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होगें एवं क्षेत्र का विकास होगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों को एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ द्वारा माह जून 2022 में आयोजित होने वाले बैठक में उपरोक्त सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करने एवं टी.ओ.आर दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समयावधि में कार्य को निष्पादित किया जा सकें।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्र का अवलोकन किया गया। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं सी.एम.डी.सी. को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2046)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77308/2022, दिनांक 27/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टीओआर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिरहसौद, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 699, कुल क्षेत्रफल–4.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,96,670 टन प्रतिवर्ष से 7,22,325 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया:–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय), नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड को एन.एच.–130–सी.डी. सड़क निर्माण (Development of six lane

Jhanki-Sargi section of NH-130-CD road from km 00+000 to km 42+800 under Raipur-Visakhapatnam economic corridor in the state of CG on Hybrid Annuity Mode) हेतु लेख किया गया है।

2. मेसर्स सालीमार कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स मां शारदा मिनरल्स के मध्य उक्त सड़क निर्माण कार्य हेतु एम.ओ.यू. (Memorandum of understanding) दिनांक 31/03/2022 को हुआ है।

चूँकि आवेदित प्रकरण के तहत् चूना पत्थर का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य हेतु किया जाना है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को लेख किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री दिनेश कुमार गोयल), ग्राम–ओरंगा, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1820)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 230215/2021, दिनांक 23/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/05/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 15 से छूट दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–ओरंगा, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 375/4 एवं 375/5, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–33,440 टन प्रतिवर्ष है।

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति अनुसार यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 146, क्षेत्रफल 1.75 हेक्टेयर) का उल्लेख करते हुये सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 3,02,500 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा किये जाने की सूचना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को दिनांक 18/05/2022 को प्रस्तुत किये जाने उपरांत परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया गया है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 267, दिनांक 23/05/2022 द्वारा आवेदक – मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री दिनेश कुमार गोयल) की ग्राम–ओरंगा, तहसील–रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 375/4 एवं 375/5 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.6 हेक्टेयर, क्षमता – 33,440 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 20/06/2022 को संपन्न 124वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 15 में अधिरोपित शर्त सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय स्कूल में व्यय किये जाने संबंधी कार्य से छूट

दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि प्राधिकरण की 121वीं बैठक दिनांक 27/04/2022 में लिये गये निर्णय अनुसार सी.ई.आर. की राशि (कुल राशि 3,02,500 रूपये) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (Forest Development Corporation) में जमा कर दिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से तदाशय के अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 15 में अधिरोपित शर्त सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय स्कूल में व्यय किये जाने संबंधी कार्य से छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़